

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)

\*\*\*\*\*

No. 2017/TG-I/10/UTS/Thermal Stationery New Delhi, dated 09.02.2018

Chief Commercial Managers,  
All Zonal Railways

Principal Chief Materials Managers,  
All Zonal Railways

(Commercial Circular No. 12 of 2018)

Sub: - Parameters of thermal stationery used in unreserved tickets.

Ref: (i) Letter no. 2002/TG-I/10/P/UTS dated 30.01.2017  
(ii) Letter no. 2002/TG-I/10/P/UTS dated 10.10.2017


\*\*\*\*\*

With reference to the above, the specifications of thermal stationery for UTS and ATVM have been further deliberated in this office.

1.1 Accordingly, suitable changes in the earlier specification circulated vide letters referred above have been made. A copy of new specifications is enclosed herewith. The new specifications will supersede the earlier ones.

2. This issues with the concurrence of Traffic Commercial and C&IS Directorates of the Ministry of Railways.

DA: As above.

  
(E. Ravindran)  
Director Railway Stores/Printing,  
Railway Board.

Copy to: AM(C&IS)/Railway Board,  
EDPM/Railway Board,  
EDQA/RITES, Gurgaon

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T), EDFC, DVT, DF(C), PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. GGM/IT/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
14. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No.6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.

\*\*\*\*\*

## Specification for Thermal Paper for UTS Printers (January, 2018)

S.No	Item	Description
1	Top Coated Thermal Paper	i) A top coated Thermal paper which forms sharp and dark image of the printed matter produced by thermal printer. ii) The thermal impression should remain legible for 90 days. iii) The thermal coating should be protected by an over coating to form a barrier between the thermal coating and environmental factors. The thermal coating should be able to retain its property for six months so as to meet the parameter specified in (ii) above. iv) Paper should be compatible with thermal printer of speed 100 mm or more per second.
2	Paper characteristics	Image color Black
3	Pre-printing of serial number	The serial numbering of tickets should be printed by foolproof machine numbering by mechanical numbering boxes only. In no case should there be any digital numbering like laser, inkjet or similar.
4	Ink to be used for numbering of tickets	Should be done by special indelible ink so that numbers cannot be erased.
5	Top of the ticket	There should be a top band in full solid of 8 mm $\pm$ 1 mm) width.
6	Position of numbering of tickets	i) Ticket numbering first four digits in 3 mm Height ( $\pm$ 0.5 mm). ii) Ticket numbering last four digits in 4 mm Height ( $\pm$ 0.5 mm)
7	Running Matter	Printed Hindi and English Railway Logo should have 10% tint in the background of ticket on front side and UV logos on back side of ticket as background and superimposed with Blue text matter.
8	Paper width	81 mm $\pm$ 1mm
9	Paper length	90 mm $\pm$ 1 mm
10	Printable width	77 $\pm$ 1 mm
11	Printable length	86 $\pm$ 1mm
12	Paper weight	100 $\pm$ 2.5 GSM

  
 31/01/18  
 Director P&S

3	Paper Type	Thermal - sensitivity coating on front side i.e. the side on which the ticket numbering is to be done.
14	Roll Capacity	500 tickets
15	Core Diameter	Inner Dia of inner core : 38 mm $\pm$ 1mm Outer Dia of inner core: 45 mm $\pm$ 1 mm
16	Black mark recognition for utter of printer	Pre-printed black mark of width: 81 mm & Height: 4 mm on the reverse of each ticket at the bottom.
17	Usable paper	Top coated thermal paper
18	Tickets specification	The ticket should be hatched with Indian Railways logo of 8 mm diameter. The hatching should be printed in 10 % density (screen) in such a way that the dot matrix printing on it should have a contrast.
19	Guarantee certificate	The supplier should give a Guarantee Certificate to support that its supply meets the requirements of raw material as well as printing as per Purchase Order specifications.
20	Inspection	<p>i) Inspecting Authority will test all the parameters including raw material, printing &amp; packing etc. and make a Joint Test Report with the firm. Material will be accepted against TC and GC submitted by the firm.</p> <p>ii) At the time of inspection, Supplier will submit the source of thermal paper procured by them with invoice copy. In case of imported thermal paper, firm will submit bill of lading or some document to establish that the firm has sourced the thermal paper from the foreign manufacturer.</p>

*[Signature]*  
31/01/18.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

\*\*\*\*\*

सं. 2017/टीजी-1/10/यूटीएस/थर्मल स्टेशनरी

नई दिल्ली, दिनांक 09.02.2018

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक,  
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 12)

विषय:- अनारक्षित टिकटों में प्रयोग की जाने वाली थर्मल स्टेशनरी के मानदण्ड।

संदर्भ: (i) दिनांक 30.01.2017 का पत्र सं. 2002/टीजी-1/10/पी/यूटीएस

(ii) दिनांक 10.10.2017 का पत्र सं. 2002/टीजी-1/10/पी/यूटीएस

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त के संदर्भ में, यूटीएस और एटीवीएम के लिए थर्मल स्टेशनरी की विशिष्टियों पर इस कार्यालय में विचार किया गया है।

1.1 तदनुसार, उक्त संदर्भित पत्रों के तहत परिपत्रित पिछली विशिष्टी में समुचित बदलाव किए गए हैं। नई विशिष्टियों की एक प्रति इसके साथ संलग्न है। पुरानी विशिष्टियों के स्थान पर नई विशिष्टियां लागू होंगी।

2. इसे रेल मंत्रालय के यातायात वाणिज्यिक और सी एंड आईएस निदेशालयों की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त।

सी. रविंद्रन  
(सी. रविंद्रन)

निदेशक रेल भंडार/मुद्रण,  
रेलवे बोर्ड।

प्रतिलिपि प्रेषित: एएम (सी एंड आईएस)/रेलवे बोर्ड,  
ईडीपीएम/रेलवे बोर्ड,  
ईडीक्यूए/आईट्स, गुरुग्राम

**प्रतिलिपि प्रेषित:**

1. सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक सतर्कता (टी), निदेशक एफ (सी), पीपीएस/एफसी, वि. का. अधिकारी/टी सी, रेलवे बोर्ड की वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं।
3. जीजीएम/आईटी/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001.
4. महाप्रबंधक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
14. प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेलापुर भवन, प्लॉट सं.6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.

\*\*\*\*\*

## यूटीएस प्रिंटरों हेतु थर्मल पेपर के लिए विशिष्टि (जनवरी, 2018)

क्र.सं.	मद	विवरण
1	टॉप कोटेड थर्मल पेपर	<p>i) एक टॉप कोटेड थर्मल पेपर, जिस पर थर्मल प्रिंटर द्वारा निकले मुद्रित विषय की स्पष्ट एवं गहरी प्रतिकृति हो।</p> <p>ii) थर्मल अंकन 90 दिनों तक पढ़ने योग्य होना चाहिए।</p> <p>iii) थर्मल कोटिंग को ओवर कोटिंग द्वारा सुरक्षित किया जाए, जो थर्मल कोटिंग और पर्यावरणीय घटकों के बीच अवरोध बने। थर्मल कोटिंग अपना गुणधर्म छह माह तक बनाए रखे ताकि उक्त (ii) में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा कर सके।</p> <p>iv) पेपर प्रति सेकंड 100 एमएम या उससे अधिक की स्पीड वाले थर्मल प्रिंटर के अनुकूल होना चाहिए।</p>
2	पेपर की विशेषताएं	इमेज का रंग काला हो
3	क्रमांक संख्या का पूर्व-मुद्रण	टिकटों की क्रमांक संख्या फूलप्रूफ मशीन नंबरिंग द्वारा केवल यांत्रिक नंबरिंग बॉक्सों में ही मुद्रित होनी चाहिए। किसी भी सूरत में, लेज़र, इंकजेट अथवा उसके समान कोई डिजिटल नंबरिंग नहीं होनी चाहिए।
4	टिकटों की क्रमांक संख्या के लिए प्रयोग की जाने वाली स्याही	टिकटों की क्रमांक संख्या विशेष अमिट स्याही द्वारा की जानी चाहिए ताकि नंबर मिटाया न जा सके।
5	टिकट का टॉप	8 एमएम ( $\pm 1$ एमएम) चौड़ाई का फुल सॉलिड का टॉप बैंड हो
6	टिकटों की क्रमांक संख्या की स्थिति	<p>i) टिकट नंबरिंग के पहले चार अंकों की लंबाई 3 एमएम हो (<math>\pm 0.5</math> एमएम)।</p> <p>ii) टिकट नंबरिंग के अंतिम चार अंकों की लंबाई 4 एमएम (<math>\pm 0.5</math> एमएम)।</p>
7	रनिंग मैटर	टिकट के आगे के भाग की पृष्ठभूमि में हिन्दी और अँग्रेजी में रेलवे का प्रतीक चिह्न 10% हल्के रंग में मुद्रित होना चाहिए और टिकट के पिछले हिस्से में पृष्ठभूमि के रूप में यूवी प्रतीक चिह्न उस पर विषय-वस्तु नीले रंग में लिखी जानी चाहिए।
8	पेपर की चौड़ाई	81 एमएम $\pm 1$ एमएम

सी. रविन्दरन  
निदेशक/मुद्रण

9	पेपर की लंबाई	90 एमएम±1 एमएम
10	मुद्रणीय चौड़ाई	77±1एमएम
11	मुद्रणीय लंबाई	86±1एमएम
12	पेपर का वजन	100±2.5 जीएसएम
13	पेपर की किस्म	आगे की ओर अर्थात् उस तरफ जहां टिकट नंबर लिखा जाना है थर्मल-सेंसिटिविटी कोटिंग हो।
14	रोल क्षमता	500 टिकटें
15	कोर डायामीटर	भीतरी कोर का भीतरी डायामीटर : 38 एमएम ± 1एमएम भीतरी कोर का बाहरी डायामीटर : 45 एमएम ± 1एमएम
16	प्रिंटर के बाहर की ओर काले निशान की पहचान	प्रत्येक टिकट के पिछले भाग पर 81 एमएम चौड़ा और 4 एमएम लंबा पूर्व-मुद्रित काला निशान हो।
17	उपयोग किए जाने योग्य पेपर	टॉप कोटेड थर्मल पेपर
18	टिकटों की विशिष्टि	टिकट पर 8 एमएम चौड़ाई का भारतीय रेल का प्रतीक चिह्न होना चाहिए। यह हैचिंग 10% घनत्व (स्क्रीन) में इस प्रकार मुद्रित की जानी चाहिए कि उस पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग कंट्रास्ट में हो।
19	गारंटी प्रमाण-पत्र	आपूर्तिकर्ता यह गारंटी प्रमाण पत्र दे कि उसकी आपूर्ति क्रय आदेश विशिष्टियों के अनुसार कच्चे माल और साथ ही मुद्रण की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
20	निरीक्षण	i) निरीक्षण प्राधिकारी कच्चे माल, मुद्रण एवं पैकिंग आदि सहित सभी मानदंडों की जांच करेंगे और फर्म के साथ मिलकर संयुक्त टेस्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई टीसी और जीसी के आधार पर सामग्री स्वीकार की जाएगी।  ii) निरीक्षण के दौरान, आपूर्तिकर्ता खरीदे गए थर्मल पेपर के स्रोत सहित बीजक की एक प्रति प्रस्तुत करेंगे। आयातित थर्मल पेपर के मामले में, फर्म लदान-पत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जिससे यह प्रमाणित होगा कि थर्मल पेपर विदेशी विनिर्माता से लिए गए हैं।

सी. रविन्द्र  
निदेशक/मुद्रण